

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 एवं 2

e-office के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग में लैपटॉप, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी एवं स्कैनर क्रय हेतु राशि ₹200 का प्रतीक अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 3 एवं 4

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि हेतु कार्यालयीन फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

SNA SPARSH के अंतर्गत NPCI के साथ ABPS का Integration किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 20.41928 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹20,41,928 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2071

मद क्रमांक 6

अधिवर्सता और सेवा निवृत्ति भत्ते अंतर्गत निवृत्त वेतन भोगियों को देय योजना में भुगतान हेतु ₹127806.65 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1278,06,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत में पेंशनों का रूपांतरित मूल्य के भुगतान योजना के लिए ₹2347.70 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹23,47,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

उपादान अंतर्गत सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार योजना में भुगतान हेतु ₹3703.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹37,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

परिवार पेंशन योजना अंतर्गत भुगतान हेतु ₹32072.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹320,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

उच्च न्यायालयों के निवृत्त न्यायधीशों के देयक भुगतान हेतु ₹121.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,21,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

विधायकों को पेंशन योजना अंतर्गत भुगतान हेतु ₹200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

अवकाश नगदीकरण हितलाभ अंतर्गत अवकाश नगदीकरण भुगतान हेतु ₹10949.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹109,49,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियोक्ता अंशदान भुगतान हेतु ₹800.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।